फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या प्रा० पत्र 151 CPC

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/12/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC बाबत आदेश दिनांक 07/10/2024 को रिकॉल किया जाकर दावे को पुनः नम्बर पर लेने हेतु पेश हुई है। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर हैं। प्रार्थी ने दौराने बहस अपने प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण द्वारा वाद ग्राम कापड़ियावास, हाल तह० कालवाड़, व जिला जयपुर में अवस्थित भूमि खसरा नं० 142/265, 215, 219, 220, 221, 222, 229, 234, 57, 58, 59, 85, 86, 87	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

रामेश्वर बनाम सरकार

नाम न्यायालय

केस संख्या प्रकरण 10 राज 30/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	3/1/25	कुल रकबा 16.9461 हैक्ट. के सम्बन्ध में तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। परन्तु उक्त भूमियां वादीगण के पिता/पति रामनाथ की मृत्यु उपरान्त वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07/10/24 को धारा-53 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज फरमा दिया गया था। वर्तमान में अब वादीगण के नाम उक्त वादग्रस्त भूमियों में विरासत का नामान्तरण खुलकर राजस्व	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

...न न्यायालय ... [illegible] बनाम [illegible]

...संख्या [illegible] 18 [illegible] /2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	31/1/25	रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण का नाम अमल हो चुका है। वादीगण, वादग्रस्त भूमियों के खातेदार काश्तकार हैं। इसलिए प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण का नाम नहीं होने के आधार पर दिनांक 07/10/24 को वाद खारिज किए गए आदेश को रिकॉल किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर वाद में आगामी कार्यवाही किए जाने के आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थी सं 6, एवं 15 की ओर से अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रार्थी, धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत	

[signature]

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या [illegible] 2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	3/1/25	प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अंतिम आदेश को recall किया जाकर पुनः नम्बर पर लेने हेतु अनुतोष चाहा गया है, जो कि धारा-151 सि० प्र० सं० के तहत दिया नहीं जा सकता है। अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी निगरानी या अपील के माध्यम से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र संधारणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। उभयपक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड का गहनता पूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थी द्वारा यह

[signature]

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

[illegible] बनाम [illegible]

...म न्यायालय ...

...स संख्या [illegible] 30/24

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	31/1/25	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-151 सि० प्र० सं० बाबत आदेश दिनांक 07/10/2024 की रिकॉल किया जाकर दावा पुनः नम्बर पर लिए जाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी द्वारा एक दावा ग्राम कापडीयावास, तह० कालवाड़, जिला-जयपुर में अवस्थित भूमि कुल किता 14, कुल रकबा 16.9561 है० के सम्बन्ध में तकासमा एवं (स्थायी) निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था, जिसको कि उक्त आराजीयात वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड/जमाबंदी में अंकित नहीं होने के कारण धारा-53 रा० का० अ० के तहत	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

नाम न्यायालय [illegible] बनाम [illegible]

केस संख्या [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	31/1/25	पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया गया। चूंकि न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश अथवा डिक्री के 'Recall' का विधि में कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थी Review, Revision और Appeal के माध्यम से सक्षम न्यायालय से अग्रिम अनुतोष पाने हेतु स्वतंत्र है। अतः धारा-151 अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के प्रयोग का कोई Scope प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

निगम बनाम अभिषेक

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

प्रकरण संख्या 137/24 - 2024

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	31/1/25	लि० प्र० सं. संधारणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31/1/25. को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	